

लेख्य-पत्र पेश करने वाले आवेदन पत्र पेश करने वाले अपने पास रहने देंगे)

(प्राप्त हुई फीस के लिए रसीद)

- 1. पेश करने वाले या आवेदन-पत्र देने वाले का नाम *श्री. चं. अधि. नं. 4190*
- 2. लेख्य-पत्र की किस्म *...*
- 3. विवरण फीस जो प्राप्त हुई *...*
- 4. प्रतिफल की रकम *...* रुपये *...* पैसे

- क. फीस रजिस्ट्री: *...*
- (1) साधारण फीस रजिस्ट्री *25500*
- (2) लेख्य-पत्र की पुस्तक में प्रतिलिपि करने की फीस *...*
- (3) धारा 64 से 67 के अनुसार ज्ञापन जारी करने की फीस *256-*
- ख. धारा 57 के अनुसार प्रार्थियों के प्रविष्ट लेखों की प्रतिलिपि देने की फीस
- ग. विविध फीस :
 - (1) साधारण अथवा विशेष अधिकार-पत्र प्रमाणीकरण फीस *...*
 - (2) धारा 62 के अनुसार अनुवाद प्रस्तुत करने की फीस *100-*
 - (3) धारा 25 से 34 के अनुसार देर से लेख्य-पत्र प्रस्तुत होने अथवा सम्पादनकर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के कारण चुकाई हुई फीस *...*
 - (4) कमीशन तथा घर पर जाने की फीस तथा भत्ता *...*
 - (5) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त फीस *...*
 - (6) संरक्षण फीस *...*
 - (7) योहरबन्द लिफाफे (जिसमें वसीयत पत्र रखा हो) अमानत रखने, वापिस लेने अथवा खोलने की फीस *164-*
 - (8) पुस्तक के निरीक्षण अथवा तलाशी की फीस *...*
 - (9) अन्य विविध प्रकार की आय (जिसमें रद्दी पदार्थों की बिक्री इत्यादि की आय सम्मिलित है) *...*

योग फीस *530-*

...

फीस के प्राप्त होने की तारीख *...*

लेख्य-पत्र या प्रतिलिपि तलाश सर्टिफिकेट पाने के हस्ताक्षर और लौटाये ने या पाने की तारीख *...*

रजिस्ट्री करने वाले अफसर के हस्ताक्षर



कार्यालय नगरपालिका मण

लालसोट, जिला दौसा (राजस्थान)

शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिये भूमि पट्टा-विलेख राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 ख के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः आवंटित भू-खण्डों के उपयोग हेतु यह, इकरार नामा जो आज दिनांक 11.11.2009 को अधिष्टान विक्रय पत्र संख्या 1616 सन् 2009 को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सरकार कहकर सम्बोधित किया गया है और दूसरी और श्री/श्रीमती सत्यलक्ष्मी राजपाल जीना पुत्र/पति श्री राजमोहन जीना जाति जीना व्यवसाय अध्यापन निवासी सोनन्दा

(जिनको इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस इबादत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसे अर्थ निकले उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मन्तकील अलैह भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया है। लीज 4 इस बात का साक्षी है कि रूपये 23427-00 अक्षरे चौकीस हजार रूपये 32

रूपये पैसे मात्र की रकम के नियम शुल्क जो पट्टेदार द्वारा अदा कर दिया गया है (और जिसकी रसीद सरकार इसके द्वारा स्वीकार करती है।) और उसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार उसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लॉट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर सम्बोधित किया गया है।) नियमन और पुनः आवंटन करती है जो गृह निर्माण सहकारी समिति की आयोग्य

योजना में स्थित है / खातेदार द्वारा विक्रय किये गये भूखण्ड स्थित है और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्से में दिखलाया गया है और जिसे पूर्व स्वामित्व संबंधि स्वत्वो सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादो, संरक्षकों, प्रतिबन्धों, वैधशर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिये अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात:-

1. उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी के आधार पर लीज होल्ड पर पुनः आवंटित किया गया है लीज की अवधि 99 वर्ष की होगी।
2. (अ) पट्टेदार नगरपालिका लालसोट के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा समय-2 पर नियत अन्य स्थान पर प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भू-खण्ड से संबंध में आधारीत दर 201 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कूल राशि 23427/ रूपये की 2.5% की दर से शहरी जमाबन्दी जमा करवायेगा। निर्धारित तिथि तक जमा नहीं कराने की दशा में नियमानुसार देय ब्याज राशि वसूल की जावेगी।
(ब) दस वर्ष की अग्रिम शहरी जमाबन्दी एक मुश्त जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदत्त किया जावेगा साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-5(2) न.वि.वि. /3/99 दिनांक 15.11.99 के अनुसार शहरी जमाबन्दी आरक्षित दर के बजाय केवल नियमन राशि 23430/ रूपये की 2.5% प्रतिवर्ष की दर से देय होगी।
3. शहरी जमाबन्दी की निर्धारित धनराशि में प्रत्येक 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात् तथा प्रत्येक हस्तांतरण पर 25 %उत्तरोत्तर वृद्धि होगी 15 वर्ष की अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से संगणित की जावेगी।
4. उपरोक्त तारीख तक किसी रकम या परिवर्धित रकम या उसके किसी अंश की जो शहरी जमाबन्दी के कारण वाजिब हो अदायगी न करने पर सरकार ऐसी रकम या उसके अंश को उस तरीके से जो उस समय माल गुजारी के बकाया की वसूली के लिये निर्देशित किया गया है, वसूल करेगी और वसूल करने के लिये सक्षम होगी।
5. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल उस पर रहने के आशय से किसी भवन या भवनो के बनवाने में ही होगा। भूखण्ड का व्यवसायिक या लाभ कमाने की दृष्टि से उपयोग किसी भी नहीं किया जा सकेगा। निर्मित भूखण्ड के संबंध में राज्य सरकार के आदेश दि. 10.7.99 क्रमांक प- 5 (3) न.वि.वि. /3/99 द्वारा भवन विनियमो के प्रावधानो में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया गया है नियमन अयोग्य निर्माण के संबंध में संबंधित विनियमो के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
6. नगरपालिका के बिल्डिंग बाइलाज के अनुसार निर्माण किया जाना होगा इसके लिये भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिये निर्धारित आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजो के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
7. इस जीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार /जीवन बीमा निगम /शिडयुल्ड बैंक /सरकारी ऋणदात्री संस्था / एच. डी. एफ. सी . अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओ के पास भवन निर्माण के ऋण के लिये गिरवी रखा जा सकेगा

8. आवंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तांतरण नगरपालिका के नियमों के अनुसार प्राधिकरण से करवाना होगा।
 9. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन को या दोनों किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिये जो पिछले पद में निर्देशित आशय के असंगत है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति के जो एतद्ध नियुक्त किया गया हो न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा।
 10. पट्टेदार द्वारा आवंटन पत्र की शर्तों का एवं पट्टे की उपरोक्त शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी यदि किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड के एवं उस पर बने हुये भवन, यदि कोई हो सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की, राशि के अधिग्रहण कर लिखा जावेगा।

नोट:- इस भूखण्ड की नियमन राशि 201 रूपये प्रति वर्गगज की पंजीकृत
 मूल्य राशि रु. 25550-00 होती है। अत एव स्टाम्प नं. 12532 संख्या 8
 03/02/09

बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।
 [कस्बे का नाम पूर्व 100-00" पश्चिम 151-00" भूखण्ड संख्या सीमा [पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण] स्थल मानचित्र संलग्न है।
 लालसोट उत्तर 84-00" दक्षिण 84-00" योजना का नाम
 विस्तृत नाप समिति का नाम
 क्षेत्रफल सहित

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने - अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से

आज सुन 2009 माह 12/02/09 के 5/02/09 वें दिन
 श्री दिलीप कुमार शर्मा सक्षम
 अध्यक्ष एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका लालसोट लालसोट
 ने निम्न की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये।

अध्यक्ष
 नगरपालिका लालसोट

अधिशाषी अधिकारी
 नगरपालिका लालसोट

उप पंजियक
 लालसोट जिला

साक्षी :-

- नाम श्री लखवाराज वर्मा
 पिता/पति का नाम श्री केका लख वर्मा
 व्यवसाय नौकरी
 निवास स्थान नगर पालिका लालसोट
 - नाम श्री बेनू उद्दीन रण
 पिता/पति का नाम श्री बजर गोखरद
 व्यवसाय नौकरी
 निवास स्थान नगर पालिका लालसोट
- आज दिनांक 11-2-2009 को
 निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री स.प.प.ल. स.प.प.ल. को
 खरीददार द्वारा कार्यालय नगरपालिका लालसोट में हस्ताक्षर किये।

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

खरीददार के हस्ताक्षर
 Ripulman

साक्षी :-

- नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान
- नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

कार्यालय नगरपालिका मण्डल लालसोट (राज.)

❀ भू-आवंटन-पत्र ❀

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (बी) के तहत पुनः आवंटन)

क्रमांक.....1616...

दिनांक 11-02-2009

भूखण्डधारी का नाम.....
 पति / पिता का नाम..... श्री हरपाल जी नारायण श्रीवास्तव 5/1 राजमोहन जी नारायण
 पता..... सोनभद्र
 भूखण्ड संख्या..... एब सब नं० 281, 618, 275 क्षेत्रफल..... 1171-33 वर्ग गज
 योजना का नाम..... न्याय आयोग रिजर्व भूखण्ड
 सहकारी समिति / खातेदार का नाम..... हनुमंत
 वार्ड संख्या.....

नगरपालिका अधिनियम एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 5 (3) न.वि.वि. 3 / 99 दिनांक 10.7.99 की अनुपालना में उपरोक्त भूखण्ड प्रार्थी को आवासीय उपयोग हेतु नियमित कर नियमन दर पर पुनः आवंटित किया जाता है। आवंटन की शर्तें निम्न प्रकार होगी

1. यह आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जाता है।
2. इस भूखण्ड पर नियमानुसार शहरी जमाबन्दी देय होगी जो कि वर्तमान में उस क्षेत्र की नियमन दर / आरक्षित दर का 2.5% / 5.0% प्रति वर्ष प्रति वर्ग गज है शहरी जमाबन्दी की उक्त राशि की नियमानुसार समय- 2 पर बढ़ोतरी की जा सकेगी।
3. भवन निर्माण का कार्य आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण करवाना होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण करते वक्त नियमानुसार सेट बैक छोड़ने होंगे एवं नगरपालिका के बिल्डिंग बाइलाज के अनुसार निर्माण किया जा सकेगा, इसके लिये भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिये निर्धारित आवंटन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ समक्ष अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। निर्माण नगरपालिका से भवन के नक्से को नियमानुसार पास करवाकर करवाना होगा।
5. इस आवंटन पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार / जीवन बीमा निगम / शिडयुल्ड बैंक / सरकारी ऋणदायी संस्था एच. डी. एफ. सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिये गिरवी रखा जा सकेगा
6. आवंटन द्वारा सम्बन्धित नियमों, उपनियमों राज्य सरकार / नगरपालिका के समय - समय पर जारी होने वाले निर्देशों, निर्णयों की अनुपालना की जायेगी।
7. प्रार्थी के आवेदन अनुसार भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा निर्विवाद मानकर यह आवंटन पत्र जारी किया जा रहा है अतः कब्जे सम्बन्धित किसी प्रकार के विवाद के लिये नगरपालिका जिम्मेवार नहीं होगी।
8. आवंटन द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तान्तरण नगरपालिका के नियमों के अनुसार नगरपालिका से करवाना होगा।
9. यह आवंटन पत्र भूखण्ड के आवासीय प्रयोजनार्थ है निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक प. 5 (3) न.वि.वि. / 3 / 99 दिनांक 10.07.1999 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया जाता है तथा नियमन अयोग्य निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
10. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन किये जाने पर उक्त आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
11. भूखण्ड की लीजडीड का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।

भूखण्ड का विवरण निम्नानुसार है:-

भूखण्ड की लम्बाई X चौड़ाई

सामने (पूर्व) 100-00"
 पीछे (पश्चिम) 151-00"
 साईज (उत्तर) 84-00"
 (दक्षिण) 84-00"
 ()

1171-33 वर्ग गज

उपपंजीयक
 लालसोट जिला हौस

अध्यक्ष

नगरपालिका लालसोट

कनिष्ठ अभियन्ता
 नगरपालिका लालसोट


अधिसूची अधिकारी
 नगरपालिका लालसोट

क्रमांक : / () / / दिनांक

प्रतिलिपि:- लेखा शाखा, नगरपालिका, लालसोट को सूचनार्थ एवं शहरी जमाबन्दी के रजिस्टर तुरन्त तैयार करने हेतु।

अधिसूची अधिकारी
 नगरपालिका लालसोट

श्री ३॥ फ्लाट अंकड सतपाल, राजपाल मीठा कंक्षी
शुभमोहन जी मीठा नि० महारिया
कॉन्स. २७३, ६१४/२७५ काँस गंगापुत्र रोड, सोनका
लालसोट जे. फौसा (बाघ.) में ॥३३.३३ व. ग.
काँसने श्रमि रूपान्तरण कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ



उप पंजीयक
लालसोट जिला हास

आद्वैनी शर्मा
अध्यक्ष
नगरपालिका लालसोट

श्री ३॥ श्री ३॥
अधिसापी अधिकारी
नगरपालिका लालसोट
S.I.

[Signature]
Represent

DRAWN BY
A. Supte
Lal Sot